SHRI CHARAN SINGH: As the hon. House is perhaps aware, we held a meeting of the top officers on the 27th and we did set up a Cell which will supervise the investigations. I need not go into the details.

The question of summoning the I.Gs from all over the country was also discussed and in the end we decided not to call them just now. I would welcome all possible suggestions that any hon. Member of the House would like to make to the Government, so that the common purpose of us all, and the common aim that we have all in view, can be served. I would therefore welcome these suggestions and I may assure you that before the House disperses for the next session, I will try to make a statement.

12.41 hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

EIGHTH REPORT

SHRI C. M. STEPHEN (Idukki): I beg to present the Eighth Report of the Public Accounts Committee on paragraphs of the Report of the Comptroller and Auditor-General of India for the year 1972-73, Union Government (Civil), Revenue Receipts, Volume I, Indirect Taxes relating to Union Excise Duties.

12.42 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

EIGHTH REPORT

SHRI YADVENDRA DUTT (Jaunpur): I beg to present the Eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

---

12 43 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) DROUGHT AND STARVATION CONDITIONS IN NORTH BIHAR

श्री लखन लाल कपूर : (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, सैकड़ों मील उत्तर भारत की यात्रा करने के बाद जब मैं यहां पहुंचा तो मैंने ता० 13 को नियम 377 के अन्तर्गत इस मामले को उठाने का नोटिस दिया था। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ता० 14 को मुझे यह सूचना दी गई कि यह विषय विचाराधीन है, ता० 15 को भी यही कहा गया कि यह विषय अभी भी विचाराधीन है उस के बाद आज तक कम्यूनिके शन-गैप रहा और मैं इस जनमहत्व के विषय को नहीं उठा सका । अध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार में करोड़ों लोग भुखमरी की स्थिति में है, मुझे बड़े क्षोम के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 17 दिन के बाद मुझे इस स्वाल को उठाने का मौका दिया जा रहा है, जब कि पानी नाक के ऊपर जा चुका है ।

उत्तर बिहार में सूखे और असामयिक वर्षा के कारण करोड़ों लोग वेकार हो गये। उन की दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण, परचेजिंग कैपेसिटी न होने के कारण उनके पास खाने के सामान की कोई व्यवस्था नहीं है । हरिजन, आदिवासी और जो सीमान्त किसान हैं—उन के पास कोई खाने की सामग्री हैं, न बाजार से खरीदने की ताकत है और न सरकार की तरफ से ही कोई व्यवस्था की गई है कि उन को तकावी ऋण देकर या किसी और तरह की सहायता देकर उन के खाने की व्यवस्था की जाय । मुझे सैकड़ों गांवों मे जा कर देखने का मौका मिला और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तीस वर्षों के स्वराज्य के बावजूद हमारे सभ्य समाज पर यह लांछन है, कलंक का टीका है कि हमारे हरिजन और